

गिराज बनाम रमको

5

दावा

हुकम या कार्यवाही मय इन्डोशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

नम्बर व त
अहकाम जो
हुकम की त
में जारी

18-11-14

पत्रावली पेश हुई / वकील वादी / वकील
उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहू
~~कोर पर है। अज्ञात पर है / का सम्मान~~
हो गया है। अतः पत्रावली दि० 18-11-14
को पेश हो।


रीडर

18-12-14 पत्रावली पेश हुई / वकील वादी / वकील
उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहू
~~कोर पर है। अज्ञात पर है / का सम्मान~~
हो गया है। अतः पत्रावली दि० 12-2-15
को पेश हो।

12-2-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित है / वास्ते कायमी तनकी
पत्रावली दि० 19-3-15 को पेश हो।

19-3-2015 वकील उभयपक्ष उपस्थित है / वास्ते कायमी
तनकी पत्रावली दि० 30-4-2015 को पेश हो।


30-4-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वास्ते कायमी
तनकी पत्रावली दि० 7-5-15 को पेश हो। वकील
प्रतिवादी ने फर्द के साथ 36 किता दस्तावेज
पेश किए।

7-5-15 पत्रावली पेश हुई / वकील वादी / वकील
उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहू
~~कोर पर है। अज्ञात पर है / का सम्मान~~
हो गया है। अतः पत्रावली दि० 14-5-15
को पेश हो।


रीडर

5-6-2015 पत्रावली आज लोक अदालत
कैम्प बसलेमपुर पर पेश हुई। वादी गिराज
व प्रतिवादी डा० शैल शास्त्री उपस्थित है।
पक्षकारों ने लोक अदालत में 'राजीनामा'
इस आशय का पेश किया है कि
... आधार पर

2042-45
28/5/15


12/2/15



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इन्डिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुआ
	<p>अतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर चादी को नवीन दावा पेश करने की अनुमति के साथ यह दवा वापस लेने की अनुमति दी जाती है। पत्र जारी किया जावे।</p> <p>पत्रावली नैसर्गशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं काद तकमील कारखाने दफ्तर हो।</p> <p>(सतीश कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी</p> <p>(मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी</p>	

1
2
3
4
5
6
7

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुक्म की तारीख
में जारी हुआ

6.

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) सलेमपुर
पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

गिर्राज पुत्र फैली, गुर्जर निवासी सलेमपुर हॉलवासी गुर्जर मोहल्ला गंगापूर सिटी —वादी
उनवान
बनाम

1. मु० रमको बेबा नानगा गुर्जर निवासी सलेमपुर तह० गंगापूर सिटी
2. मुस्या पुत्र नानगा गुर्जर निवासी सलेमपुर तह० गंगापूर सिटी
3. श्रीमती डॉ. शैल शास्त्री पत्नी डॉ. राजेन्द्र शास्त्री, ब्राह्मण निवासी स्टेशन रोड गंगापूर
4. लैंड होल्डर तहसीलदार गंगापूर सिटी

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा —प्रतिवादीगण

मुकदमा नं. — 08/2010

वादी की ओर से वादी गिर्राज की व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी डॉ. शैल शास्त्री की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को नवीन दावा पेश करने की अनुमति के साथ दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।
खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 05.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी कलेक्टर
गंगापूर सिटी

वादी	वाद के खर्चे	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :-

श्रीमती

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 5/6/15

पीठासीन अधिकारी महोदय,
श्री - *श्रीमती*

श्रीमती

बनाम

श्री. रमणी शर्मा

संख्या :-

8/10

अन्तर्गत धारा

88, 188, R.F.A.C

श्रीमती

मुकदमा प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री *श्रीमती*
है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लखित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो
जब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
इस आधार पर राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

*पक्षकारों के राजीनाम के अन्तर्गत मुकदमा प्रकरण में
श्रीमती रमणी शर्मा द्वारा पेश की गई शर्तों को पक्षकारों
द्वारा स्वीकार किया गया है। राजीनामा प्रकरण में
श्रीमती रमणी शर्मा द्वारा पेश की गई शर्तों को पक्षकारों
द्वारा स्वीकार किया गया है। राजीनामा प्रकरण में*

इस दस्तावेज से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।
श्रीमती

- 1. *श्रीमती रमणी शर्मा*
- 2. *श्रीमती रमणी शर्मा*
- 3. *श्रीमती रमणी शर्मा*
- 4. *श्रीमती रमणी शर्मा*

- प्रतिवादी पक्ष 1. *श्रीमती रमणी शर्मा*
- 2. *श्रीमती रमणी शर्मा*
- 3. *श्रीमती रमणी शर्मा*
- 4.

हस्ताक्षर *श्रीमती*
नाम *श्रीमती*
ग्राम पंचायत - *श्रीमती*
गंगापुर सिटी (सि.म.)

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर *श्रीमती*
(प्रतिवादी पक्ष) नाम *श्रीमती*
राज. उच्च मंच - *श्रीमती*
गंगापुर (सवाई माधोपुर)

प्रार्थी/वादी *श्रीमती रमणी शर्मा* एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी *श्रीमती रमणी शर्मा*
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना
या नहीं। अतः राजीनामा हरबख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल भिसल रहे।

(ह0 सदस्य) *श्रीमती* (ह0 सदस्य) *श्रीमती* (ह0 सदस्य) *श्रीमती*

सतीश कुमार शर्मा
सदस्य

श्रीमती
(मुनि देव यादव)
पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत
गंगापुर सिटी 53

लोक अदालत
गंगापुर सिटी